

संसदीय कार्य एवं संबंधित प्रक्रिया

कार्यपालिका पर नियंत्रण

प्रश्नकाल

- सामान्य तौर पर संसदीय सत्र की शुरूआत प्रश्नकाल से होती है (लोकसभा नियमावली 32 , राज्यसभा नियमावली 39) ।
- **प्रश्न काल के दौरान तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं :-**
- **पहला , तारांकित प्रश्न :-** मौखिक उत्तर , दो पूरक प्रश्न संभव । दोनों सदनों में पृथक - पृथक 15 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक । लोकसभा में अधिकतम 20 और राज्यसभा में अधिकतम 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।
- **दूसरा , अतारांकित प्रश्न :-** लिखित उत्तर , कोई पूरक प्रश्न नहीं । 15 दिन की पूर्वसूचना । लोकसभा में अधिकतम 230 और राज्यसभा में अधिकतम 160 प्रश्न ।
- **तीसरा , अल्पसूचना प्रश्न :-** लोकसभा में 10 दिन और राज्यसभा में 15 दिनों की पूर्वसूचना । मौखिक उत्तर । प्रश्न काल की समाप्ति से ठीक पहले (02-03 मिनट पूर्व) अध्यक्ष की अनुमति पर ।
- **नोट 01 :-** तारांकित प्रश्न हरे रंग , अतारांकित प्रश्न सफ़ेद रंग , अल्पसूचना प्रश्न हल्के गुलाबी रंग एवं निजी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न पीले रंग में छपे होते हैं ।
- **नोट 02 :-** कोई भी सांसद सदन के महासचिव के माध्यम से पीठासीन अधिकारी को अपना प्रश्न भेज सकता है ।
- **नोट 03 :-** सामान्य तौर प्रश्नकाल से संबंधित कार्यवाही को प्रसारित किया जाता है ।

शून्यकाल

- संसदीय नियमावली में इसका उल्लेख नहीं ।
- मुद्दा उठाने का अनौपचारिक माध्यम ।
- बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछना संभव परन्तु व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रातः काल 10 बजे तक सूचना देना आवश्यक ।
- सर्वप्रथम 1962 - 63 में मीडिया द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल किया गया ।
- संसदीय लोकतंत्र को भारत की मौलिक देन ।
- मंत्री द्वारा उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

- लोकसभा की नियमावली 197 और राज्यसभा की नियमावली 180 के तहत 1954 से प्रारंभ ।
- लोकसभा में प्रातः काल 10 बजे से पूर्व और राज्यसभा में एक दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक ।
- अनिवार्य, अविलंबनीय एवं लोक महत्व के विषय पर परन्तु तथ्यात्मक निश्चितता का अभाव ।
- अध्यक्ष की अनुमति पर मौखिक उत्तर देना आवश्यक ।

स्थगन प्रस्ताव

- लोकसभा नियमावली 57 के तहत प्रातः काल 10 बजे तक नोटिस देना आवश्यक ।
- प्रस्ताव के समर्थन में नोटिस के साथ 50 सांसदों का हस्ताक्षर आवश्यक ।
- तथ्य आधारित , अविलंबनीय , लोक महत्व का विषय ।
- मुद्दा विशेष तक बहस सीमित ।
- ढाई घंटे की बहस तथा तत्पश्चात मतदान अनिवार्य ।
- पराजय की स्थिति में नैतिक तौर पर इस्तीफ़ा अन्यथा अविश्वास प्रस्ताव की संभावना ।
- **नोट:-** न्यायपालिका में लंबित विषय या कोई ऐसा विषय जिस पर उसी सत्र में विचार या बहस किया गया हो इसके तहत नहीं लाया जा सकता ।

अविश्वास प्रस्ताव

- लोकसभा नियमावली 198 के तहत प्रातः काल 10 बजे के पूर्व नोटिस देना आवश्यक ।
- अन्य प्रक्रिया स्थगन प्रस्ताव की ही तरह परन्तु बहस की समय सीमा निर्धारित नहीं और न ही विषय विशेष तक सीमित रहने की बाधकारिता ।
- प्रस्ताव पारित होने इस्तीफ़ा देना अनिवार्य (अनुच्छेद 75 (3)) ।

निंदा प्रस्ताव

- केवल लोकसभा में ।
- प्रस्ताव लाने का कारण बताना आवश्यक ।
- किसी मंत्री या मंत्री समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्ताव संभव ।
- किसी एक नीति या किसी कार्य विशेष की आलोचना या निंदा के उद्देश्य से ।
- बहस के बाद मतदान आवश्यक और हार की स्थिति में इस्तीफ़ा देना आवश्यक नहीं ।

बिना तिथि निर्धारित किए प्रस्ताव

- ऐसा कोई भी प्रस्ताव जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो परन्तु प्रस्तुति की तिथि नहीं बतायी गयी हो ।
- भविष्य में व्यवसाय परामर्शदायी समिति के साथ विचार - विमर्श करके इसका समय निर्धारित किया जाता है ।

धन्यवाद प्रस्ताव

- इसका संबंध राष्ट्रपति के अभिभाषण से है ।
- चूँकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख होता है इसलिए उनके अभिभाषण के बाद संसद के दोनों सदनों में बहस होती है ।
- बहस के बाद मतदान अनिवार्य होता है और यदि इसमें सरकार की हार हो जाती है तो इसे सरकार की असफलता माना जाता है और सरकार से इस्तीफ़ा की अपेक्षा होती है ।

प्रस्ताव व संकल्प

प्रस्ताव:-

- लोक महत्व के मुद्दों पर पीठासीन अधिकारी की अनुमति से बहस कराने की अनुमति लेने की एक पद्धति ।

- इसका इस्तेमाल मंत्री एवं सांसद दोनों ही कर सकते हैं।

तकनीकी तौर पर इसे तीन विशिष्ट वर्गों में बांटा जाता है :-

- **स्वतंत्र / उद्देश्यात्मक / आधारभूत / अधिष्ठायी प्रस्ताव :-** उन विषयों से संबंधित जो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और जिनकी प्रकृति स्वतंत्र होती है। उदाहरण के तौर पर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को हटाने से संबंधित प्रस्ताव।
- **स्थानापन्न प्रस्ताव :-** सदन की अनुमति से मूल प्रस्ताव के स्थान पर वैकल्पिक प्रस्ताव लाना।
- **सहायक प्रस्ताव :-** मूल प्रस्ताव में नए मुद्दों को जोड़ने का प्रयास जिनका अपना कोई पृथक् अस्तित्व नहीं होता और ऐसे प्रस्ताव सामान्य तौर पर मूल प्रस्ताव के कुछ भाग में संशोधन हेतु या किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को शामिल करने के मकसद से लाये जाते हैं।

उपर्युक्त तीन वर्गों के अलावा सदन में बहस से संबंधित समापन प्रस्ताव होता है जिसे 04 वर्गों में बांटा जा सकता है

1. **सरल या सामान्य समापन प्रस्ताव :-** किसी भी मुद्दे पर पर्याप्त बहस के बाद मतदान की मांग।
2. **संभागीय समापन प्रस्ताव :-** किसी भी मुद्दे पर विषय विशेष को विशिष्ट भागों में बाँट कर बहस करना और मतदान कराना।
3. **कंगारू प्रस्ताव :-** विषय विशेष के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस कराना और मतदान कराना।
4. **गिलोटिन :-** निर्धारित समय सीमा के बाद बहस पूरा हुआ मानकर मतदान कराया जाता है।

नोट :- लोकसभा नियमावली 222 और राज्यसभा नियमावली 187 के तहत मंत्रियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सांसदों के द्वारा उन परिस्थितियों में लाया जाता है जब मंत्री अपने विशेषाधिकार का य तो दुरुपयोग करते हैं या गलत तथ्यों के साथ सदन को गुमराह करते हैं।

संकल्प

- एक ऐसी पद्धति जिसके माध्यम से सांसद या सरकार सामान्य जनहित के मुद्दे पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने, सदन की राय जानने और स्पष्ट निर्णय लेने का प्रयास किया जाता है।

संकल्प तीन तरह के होते हैं :-

1. **निजी सदस्य संकल्प :-** किसी भी सांसद द्वारा प्रति अगले शुक्रवार को भोजनावकाश के बाद।
2. **सरकारी संकल्प :-** मंत्री द्वारा सोमवार से गुरुवार के बीच पीठासीन अधिकारी की अनुमति से किसी भी समय।
3. **सांविधिक संकल्प :-** सांसद या मंत्री द्वारा संविधान के प्रावधानों या संसद की विधियों से संबंधित किसी विषय पर। इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता।

नोट 01 :- यदि सरकारी संकल्प पर निर्धारित समय में बहस पूरी नहीं हुई तो उसी सत्र के किसी और दिन का समय निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन यदि निजी सदस्य संकल्प पर बहस पूरी नहीं हुई और अन्य तिथि का भी निर्धारण नहीं हुआ तो संकल्प समाप्त माना जाएगा।

1. **नोट 02 :-** प्रत्येक संकल्प पर मतदान होता है परन्तु प्रत्येक प्रस्ताव पर मतदान नहीं। अतः प्रत्येक संकल्प प्रस्ताव है लेकिन परंतु प्रत्येक प्रस्ताव संकल्प नहीं।

विधि निर्माण का कार्य

विधेयक पारित करने की प्रक्रिया

सामान्य तौर पर **विधेयकों को चार विशिष्ट वर्गों में बांटा जाता है :-**

- सामान्य विधेयक।
- संविधान संशोधन विधेयक।
- धन विधेयक, एवं
- वित्त विधेयक।

प्रस्तुतिकरण के आधार पर विधेयक को सरकारी विधेयक एवं निजी सदस्य विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

सामान्य विधेयक

- यदि वह सरकारी विधेयक है तो 07 दिनों की नोटिस और निजी सदस्य विधेयक है तो एक माह की नोटिस।
- मंत्री द्वारा दोनों में से किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जा सकता है जबकि निजी सदस्य द्वारा सदस्यता के सदन में।

विधेयक प्रस्तुत करने तथा पारित करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में बांटा जा सकता है :-

प्रथम वाचन :-

- विधेयक का प्रस्तुतिकरण जिसमें उसका शीर्षक और उद्देश्य बताया जाता है।
- प्रस्तुतिकरण के बाद इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।
- **नोट :-** यदि विधेयक पहले से ही राजपत्र में प्रकाशित है तो विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती।

द्वितीय वाचन :- इसके तहत विधेयक पर सामान्य तथा विस्तृत चर्चा होती है जिसे **तीन विशिष्ट उपचरणों में विभाजित किया जा सकता है :-**

- **सामान्य चर्चा या बहस का चरण :-** सभी सांसदों द्वारा विधेयक के सामान्य मुद्दों पर बहस होती है और उसके बाद **या तो** किसी निर्धारित तिथि को मतदान की मांग की जाती है **या** प्रवर समिति में भेजने का निर्णय लिया जाता है **या** संयुक्त समिति में भेजने का निर्णय लिया जाता है **या फिर** जनमत प्राप्त करने के लिए इसे जनता के बीच रखा जाता है।
- **नोट :-** यदि विधेयक प्रवर समिति में भेजा जाना है तो उसी सदन की प्रवर समिति में भेजा जाएगा जहां विधेयक पेश किया गया था और यदि संयुक्त समिति में भेजा जाना है तो उसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे।

- **समिति का चरण :-** समितियों के द्वारा विस्तृत एवं गहन अध्ययन किया जाता है और इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती। समिति अपना सुझाव संबंधित सदन को भेज देती है।
- **समिति के सुझावों पर विचार - विमर्श :-** सदन द्वारा सुझावों पर चर्चा होती है परन्तु ये सुझाव बाध्यकारी प्रकृति के नहीं होते। इन सुझावों के आधार पर संशोधन संभव है और यदि संशोधन हुआ तो वह विधेयक का हिस्सा बन जाता है।

तृतीय वाचन

- इस स्तर पर विधेयक पर मतदान होता है अर्थात् स्वीकृति या अस्वीकृति तय की जाती है।
- **नोट 01 :-** दूसरे सदन में भी इन्हीं तीनों वाचनों से गुजरना होता है और **सदन निम्नलिखित में से कोई एक निर्णय ले सकता है :-**
 - पूर्णतया स्वीकृति देना।
 - संशोधन के साथ स्वीकृति देना (ऐसी स्थिति में दूसरे सदन में पुनर्विचार आवश्यक)।
 - विधेयक को रद्द करना या अस्वीकृत करना।
 - कोई भी निर्णय न लेना अर्थात् लंबित करना।
- **नोट 02 :-** दोनों सदनों में उत्पन्न गतिरोध की स्थिति में **राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक** बुलाई जा सकती है।
- **नोट 03 :-** संसद द्वारा पारित विधेयक हस्ताक्षर हेतु राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं ; पहला हस्ताक्षर का और दूसरा वीटो का।

लोकसभा के विघटन की स्थिति में विधेयक का अस्तित्व

व्यपगत होने की स्थिति	समाप्त नहीं होने की स्थिति
<ul style="list-style-type: none"> • यदि विधेयक लोकसभा में लाया गया हो और पास कर दिया गया हो, परंतु राज्यसभा में लंबित हो, तो समाप्त हो जाएगा। 	<p>यदि विधेयक राज्य सभा में लंबित है और राज्य सभा में पारित नहीं हुआ है, तो समाप्त नहीं।</p>
<ul style="list-style-type: none"> • विधेयक राज्यसभा में लाया गया हो और पारित कर दिया गया हो, परंतु लोकसभा में लंबित हो तो वह समाप्त हो जाएगा। 	<ul style="list-style-type: none"> • अनुच्छेद 108 लागू हो • गया हो, तो विधेयक • समाप्त नहीं होगा।
<ul style="list-style-type: none"> • विधेयक राज्यसभा में लाया गया हो और पारित कर दिया गया हो, लेकिन लोकसभा में संशोधित कर राज्यसभा में भेज दिया गया हो और राज्यसभा में लंबित हो, तो वह समाप्त हो जाएगा। 	<ul style="list-style-type: none"> • राष्ट्रपति के पास लंबित हो, • तो विधेयक समाप्त नहीं होगा।
	<ul style="list-style-type: none"> • यदि समिति में पुनर्विचार • के लिए गया हो, तो लंबित

धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर

धन विधेयक :-

- अनुच्छेद 109 और 110 से संबंधित ।
- राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लोकसभा में पेश ।
- लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसका प्रमाणन (न्यायिक समीक्षा संभव) ।
- राज्यसभा द्वारा संशोधन या निरस्त करने का अधिकार नहीं ।
- अधिकतम 14 दिनों के भीतर स्वीकृति देना आवश्यक या सुझाव देना आवश्यक ।
- अंतिम निर्णय लोकसभा का , अर्थात् संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं ।
- लोकसभा से पारित होने के तत्काल बाद भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु भेजा जा सकता है ।
- राष्ट्रपति के पास दो तरह के विकल्प :- पहला हस्ताक्षर करना ; दूसरा आत्यंतिक वीटो का प्रयोग करना ।
- **नोट :-** धन विधेयक हमेशा सरकारी विधेयक होता है ।

वित्त विधेयक

- सामान्य तौर पर इसका संबंध वित्तीय मामलों से होता है ; इसके तहत अनुच्छेद 110 , अनुच्छेद 117 (1) और अनुच्छेद 117 (3) के विधेयक आते हैं ।
- सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते ।

अनुच्छेद 117 के तहत आने वाले वित्त विधेयक को दो वर्गों में बांटा जाता है :-

1. **प्रथम श्रेणी का वित्त विधेयक (अनुच्छेद 117 (1)) :-**
 - राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लोकसभा में पेश ।
 - दोनों सदनों में सामान्य विधेयक की तरह परिचर्चा । गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक संभव । राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर एवं सभी प्रकार के वीटो की शक्तियां ।
 - नोट :- इस विधेयक का संबंध अनुच्छेद 110 के किसी या कुछ प्रावधानों से होता है लेकिन इसमें अन्य सामान्य विषय भी हो सकते हैं । ऐसे विधेयक में प्रमुख रूप से किसी क्षेत्र विशेष संबंधित खर्च या ऋण संबंधी मुद्दा लाया जाता है ।
2. **द्वितीय श्रेणी का वित्त विधेयक (अनुच्छेद 117 (3)) :-**
 - अनुच्छेद 110 से कोई संबंध नहीं ।
 - संचित निधि कोष से किए जाने वाले व्यय से संबंधित ।
 - प्रस्तुतिकरण के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं ।
 - संयुक्त बैठक संभव ।

- राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर या अन्य सभी प्रकार के वीटो का विकल्प उपलब्ध।

नोट :- विधेयक को पारित करने के पूर्व अर्थात् मतदान के पूर्व राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है।

बजट से संबंधित तथ्य

- बजट शब्द का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं।
- अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय घोषणा का प्रावधान है।
- वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक।
- धन विधेयक के सभी प्रावधान लागू।
- 2017 के पूर्व द्विबजटीय व्यवस्था (रेल बजट एवं सामान्य बजट)।
- **नोट :-** एकवर्ष समिति (1921) की सिफारिश पर 1923 से पृथक रेल बजट पेश किया जाना प्रारंभ हुआ था।
- 2017 से संघीय बजट 01 फ़रवरी को पेश किया जाता है और उसके एक दिन या कुछ दिन पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण अर्थात् इकोनोमिक सर्वे लाया जाता है (आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार होता है)।

रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक रखने के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे

- व्यावसायिक दृष्टिकोण के आधार पर रेलवे संबंधी नीति का निर्धारण।
- रेलवे की वित्तीय व्यवस्था में लचीलापन लाना।
- लाभ उन्मुखी दृष्टिकोण अपनाना।
- सामान्य राजस्व प्राप्ति में सहयोग देकर वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करना।
- स्वयं को लाभकारी बनाकर अपना विकास करना तथा अन्य विभागों को आवश्यकतानुसार वित्तीय सहयोग देना।

बजट निर्माण में शामिल किए जाने वाले विषय

- राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान।
- राजस्व प्राप्ति के साधन।
- व्यय संबंधी अनुमान।
- समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय का विस्तृत विवरण।
- यदि कोई घाटा हुआ है या अनुमान से ज्यादा प्राप्ति हुई है तो संबंधित स्पष्टीकरण।
- आगामी वर्ष की आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों की घोषणा।

संसद में बजट के प्रस्तुतिकरण और पारित होने की प्रक्रिया

- लोकसभा की नियमावली 213 के तहत राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है। (अनिवार्य तौर पर लोकसभा में)।
- यह दो भागों में विभाजित होता है :- मांग अनुदान एवं वित्त विधेयक।
- बजटीय भाषण में वार्षिक वित्तीय घोषणा के साथ – साथ मांग अनुदान, विनियोजन विधेयक, वित्त विधेयक और वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत आने वाली घोषणाएं शामिल होती हैं।

नोट

- **वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003** में लाया गया था जिसका उद्देश्य था वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाना , दीर्घकालिक वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करना और समान ऋण वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित करना ।
- इस अधिनियम के तहत की गयी घोषणाओं में वृहत अर्थशास्त्रीय प्रारूप , राजकोषीय नीति की रणनीतिक घोषणा , मध्यकालिक राजकोषीय नीति , व्यय बजट , प्राप्ति बजट , उत्पादन बजट , वित्त विधेयक से संबंधित प्रावधान तथा बजट का विहंगम अवलोकन प्रस्तुत किया जाता है ।

संविधान के अनुच्छेद 113 में अनुमान से संबंधित संसदीय प्रक्रिया संबंधी प्रावधान दिए गए हैं

- लोकसभा में बजट प्रस्तुतिकरण के बाद बहस के निम्नलिखित चरण अपनाए जाते हैं :-
- लोकसभा नियमावली 207 के तहत 03 – 04 दिनों की सामान्य बहस (सिद्धांतों , नीतियों तथा उद्देश्यों पर चर्चा) ।
- 03 से 04 सप्ताह तक विभागीय समितियों द्वारा मंत्रालय विशेष से संबंधित बजटीय प्रावधानों पर चर्चा एवं जांच ।
- नियमावली 208 के तहत मांग अनुदान पर 26 दिनों की बहस और मतदान ;
- इस दौरान लोकसभा की **नियमावली 209 और 212 के तहत कटौती प्रस्ताव** लाये जा सकते हैं , **जो तीन प्रकार के होते हैं :-**

1. **सांकेतिक कटौती :-** प्रस्तावित व्यय राशि में से 100 रूपया घटाने का प्रस्ताव ।
2. **नीतिगत कटौती :-** प्रस्तावित राशि को घटाकर 01 रूपया करने का प्रस्ताव ।
3. **मितव्ययिता कटौती :-** विवेक के आधार पर निर्धारित राशि घटाने का प्रस्ताव ।

नोट 01 :- कटौती प्रस्ताव केवल एक मांग से संबंधित होनी चाहिए ; किसी भी तरह के बहस या अपमानजनक अर्थात मानहानि से संबंधित कोई भी वक्तव्य नहीं होना चाहिए ; संशोधन या निरसन संबंधी कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए और न ही या संचित निधि कोष पर भारित व्यय से संबंधित होना चाहिए ।

नोट 02 :- यदि कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह माना जाता है कि सदन का विश्वास सरकार पर नहीं है और सरकार को इस्तीफा देना होता है ।

26 दिनों की बहस के बाद गिलोटिन की घोषणा की जाती है और बहस समाप्त कर मतदान कराया जाता है ।

विनियोजन विधेयक

- अनुच्छेद 114 तथा लोकसभा नियमावली 218 ।
- माँग अनुदान के पारित होने के बाद जब संचित निधि कोष पर भारित व्यय को इसमें शामिल कर दिया जाता है तो वह विनियोजन विधेयक कहलाता है ।
- इस विधेयक को अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक का प्रमाणपत्र प्राप्त होता है और तब यह राज्य सभा में जाता है (इस विधेयक में लोकसभा द्वारा भी संशोधन संभव नहीं) ।

- चूँकि राज्यसभा के पास धन विधेयक संबंधी कोई निर्णायक शक्ति नहीं होती इसलिए लोकसभा से पारित होते ही इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम का रूप ले लेता है।

लेखानुदान

- अनुच्छेद 116, नियमावली 214।
- बजट पर सामान्य बहस के बाद बजट की कुल अनुमानित राशि का 1/6 भाग दो से ढाई महीने के लिए बगैर किसी विस्तृत बहस के स्वीकृत कर लिया जाता है ताकि संवैधानिक संकट से बचते हुए सामान्य खर्च को पूरा करने के लिए संचित निधि कोष से धन निकाला जा सके।
- ऐसी धन राशि का नई नीतियों या योजनाओं पर खर्च नहीं हो सकता।

वित्त विधेयक

- लोकसभा नियमावली 219 के तहत।
- धन विधेयक की सभी शर्तें लागू।
- संशोधन संबंधी प्रस्ताव लाया जा सकता है।
- 1931 के कर संबंधी अधिनियम के तहत 75 दिनों के भीतर लागू करने की प्रक्रिया को पूर्ण करना होता है।
- यह अधिनियम बजट के आय पक्ष को वैधानिक बनाता है और बजट लागू करने की प्रक्रिया को पूर्ण करता है।

विभिन्न प्रकार के अनुदान

1. **पूरक अनुदान (Supplementray grant) :-** अनुच्छेद 115 ; यह उस धनराशी से संबंधित है जो संसद द्वारा पारित विनियोजन अधिनियम के माध्यम से दी गयी राशि के अपर्याप्त होने पर दी जाती है (किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए)।
2. **अतिरिक्त अनुदान (Adittional grant) :-** अनुच्छेद 115 ; किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी नई सेवा या नए खर्च के लिए दी जाने वाली राशि जिसका उल्लेख बजटीय प्रावधान में नहीं था।
3. **अधिक या अतिरेक अनुदान (Excess grant) :-** अनुच्छेद 115 ; इसका संबंध बजटीय वर्ष में निर्धारित धनराशी से ज्यादा खर्च करने से है। ऐसी धनराशी के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद लोकसभा में मतदान आवश्यक होता है। (संसद की लोकलेखा समिति द्वारा मतदान के पूर्व इस राशि का अनुमोदन करना आवश्यक होता है)।
4. **साख अनुदान (Credit grant) :-** अनुच्छेद 116 ; इसका संबंध अप्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने से होता है। इसका उल्लेख बजट में नहीं होता, यह एक तरह से कार्यपालिका को लोकसभा की तरफ से दिया गया रिक्त चेक / blank check होता है।
5. **अपवाद अनुदान (Exceptional grant) :-** अनुच्छेद 116 ; किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी विशेष मकसद के लिए जो चालु या मौजूदा सेवाओं का हिस्सा नहीं होता, धनराशी का दिया जाना अपवाद अनुदान है।

